सुबह की सभा : सीखने का मंच

मनोज कुमार त्रिपाठी और शिव कुमार

सीखना, निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कहीं भी बल्कि यूँ कहें कि हर जगह ही चलती रहती है, कभी जाने में तो कभी अनजाने ही। जब हम सचेत रूप से कुछ सीखते हैं तो वह हमारे ज्ञान का हिस्सा बन जाता है, हमारी समझ को बढ़ाता है, हमें हुनरमन्द बनाता है, और फिर पूर्व-अनुभव और ज्ञान के आधार पर हम नए अनुभव हासिल कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और आगे बढ़ा सकते हैं। सीखना किसी भी तरह से हो सकता है। हो सकता है कि इसके लिए हमें कोशिशें करनी पड़ें या फिर यह परिस्थितिजन्य या सन्दर्भ आधारित भी हो सकता है, किसी की मदद या बिना मदद के भी हो सकता है और दूसरे कई तरीक़ों से भी। दूसरी तरफ़ हम बहुत कुछ ऐसा भी सीखते हैं जिनका भले ही तुरन्त कोई असर दिखाई न दे लेकिन समय के साथ वह महत्त्वपूर्ण हो जाता है। मतलब यह कि सीखना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसकी कोई सीमा या अन्त नहीं है।

हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में सीखना और उससे जुड़ी प्रक्रियाएँ बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। सारी कोशिशें विद्यार्थियों के सीखने के प्रति ही समर्पित होती हैं- चाहे वह कक्षा का कमरा हो, पाठ्यपुस्तकें, साज़ो-सामान से भरी प्रयोगशालाएँ या फिर

पुस्तकालय, सबका मक़सद वही है। लेकिन ऐसे बहुत से अनौपचारिक तरीक़े भी प्रचलन में हैं, जो कि सीखने में विशेष योगदान देते हैं और अधिगम प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। यह एक सच्चाई है कि सीखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा कक्षा के बाहर ही घटित होता है, जिसका कक्षा के अन्दर की गतिविधियों पर और सीखने की पूरी प्रक्रिया पर भी महत्त्वपूर्ण असर होता है।

कक्षा के भीतर जो भी सीखा जाता है उसे कक्षा के बाहर के अनुभवों और अपेक्षाओं से जोड़ा जाना चाहिए और आस-पास के माहौल और परिवेश में उसकी एक प्रासंगिकता होनी चाहिए। तभी वास्तविक सीखना हो पाएगा जो आगे सीखने का आधार बन सकता है और सीखने के नवीन अवसर पैदा कर सकता है।

हमारे स्कूलों में कक्षा के बाहर भी बच्चों के सीखने के लिए अनेक मौक़े होते हैं। हमारे अनुभव भी यही बताते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जिसे बच्चे कक्षा के बाहर ही सीखते हैं और वह भी ख़ुशी-ख़ुशी, जिज्ञासा और उत्साह से। ऐसे मौकों पर और इन सारी अलग-अलग प्रक्रियाओं में जो भी वे सीखते हैं, उसका उनके वर्तमान और भविष्य के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

स्कूल की दिनचर्या की शुरुआत में ऐसी ही गतिविधियों में 'चेतना-सत्र' या 'सुबह की सभा' भी शामिल है। आपस में मिलने-जुलने की यह मज़ेदार, दिलचस्प, जानकारीपूर्ण और जीवन्त सभा कक्षा के बाहर ही होती है। किसी ने यह बहुत ख़ूब कहा है, "अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम हो जाना" चेतना-सत्र पर, जो एक तरह से स्कूली कामकाज की शुरूआत है, यह बात पूरी तरह से खरी उतरती है। चेतना-सत्र सिर्फ़ कोई रिवायत भर नहीं है, जिसमें बस रस्मी प्रार्थनाएँ वगैरह ही होती हों। अब यह समावेशी और संवादात्मक गतिविधियों का एक सक्रिय मंच है। यहाँ पर बच्चों को निजी तौर पर व सामूहिक रूप से सीखने के मौक़े मिलते हैं और अपने अनुभवों तथा जो कुछ भी वे सीखते हैं उसे तरह-तरह से पेश करने के भी। अधिकांशतः बच्चे स्वयं ही बाल-संसद और मीना मंच के जरिए इसका आयोजन और संचालन भी करते हैं। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि चेतना सत्र की गतिविधियाँ हमारे पाठ्यक्रम और कक्षा के कार्य-कलापों से क़रीबी तौर पर जुड़ी हुई होती हैं। स्थानीय संस्कृति से जुड़ी जन-प्रार्थनाओं की मधुर धुनें, जिनमें कई मौक़ों पर सांस्कृतिक रंग लिए हुए गीतों को भी शामिल किया जाता है, इस सत्र का सार हैं। यह गतिविधियाँ सुबह की सभा की नीरसता को तोड़ती हैं और उसमें एक नई ताज़गी और ऊर्जा भरती हैं। जिस तरह से बच्चों को कतारबद्ध करके खड़ा किया जाता है, उसे हम पहली से आठवीं कक्षा तक सिखाई जाने वाली गणित की अवधारणाओं के साथ बड़ी

आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा चेतना-सत्र और कक्षा, दोनों में ही बच्चों को चर्चाएँ करने, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने और अपने अनुभवों को प्रस्तुत करने के न सिर्फ़ यह, बल्कि चेतना-सत्र बच्चों को नेतृत्व करने के ऐसे मौक़े देता हैं जिसमे वे सहयोग, समन्वय, सहायता व एक-दूसरे को अनुशासित करना सीखते हैं और साथ ही वे सौहार्दपूर्ण और दोस्ती भरे माहौल में स्थानीय परम्पराओं और संस्कृति का सम्मान करना भी सीखते हैं।

चेतना सत्र में सार्वजनिक सम्बोधन के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बच्चों के अन्दर की झिझक दूर होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके माता-पिता, अभिभावक और समुदाय के लोग उन्हें देख और सुन रहे हैं, जो उनकी

सराहना भी करते हैं और उनको फ़ीडबैक भी देते हैं। कभी-कभी बच्चों को सम्बोधित करने के लिए स्थानीय हस्तियों, दस्तकारों और शिल्पकारों को बुलाया जाता है और वे बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। बच्चों को वहाँ उनसे सवाल पूछने और अपने अनुभव बाँटने का मौक़ा मिलता है। इस तरह हम चेतना सत्र की, खूब सोची-विचारी गई अवधारणा के तहत थोड़े जीवन्त बदलाव करते हुए सुबह की एक साधारण सभा को सीखने का एक महत्त्वपूर्ण स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं।

हमारे स्कूल में बच्चों की सक्रिय सहभागिता पर आधारित मीना मंच और बाल-संसद का भी आयोजन किया जाता है, जिनका सीधा सम्बन्ध कक्षा से बाहर सीखने के साथ है। असल में यह बच्चों के दो लोकतांत्रिक मंच हैं, जो बच्चों के लिए हैं और बच्चे ही उन्हें चलाते हैं, जहाँ वे नेतृत्व के कौशल, सक्रिय भागीदारी, निर्णय लेना, स्व-अनुशासन, सहयोग, तालमेल, दूसरों को ज़िम्मेदारी सौंपना और उसे साझा करना, एक-दूसरे की मदद करना, सामूहिक ज़िम्मेदारी लेना, एक टीम के रूप में काम करना, काम की जवाबदेही लेना, नए विचारों का सृजन करना, ख़ुद अपने ऊपर ग़ौर करते हुए

आलोचनात्मक तरीक़े से सोच-विचार करना, संसाधनों की पहचान करना और उनका सृजन करना, लोकतांत्रिक तरीक़े से योजना बनाना, उसे लागू करना और उसका मूल्यांकन करना वग़ैरह सीखते हैं।

बाल-संसद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जिनके साथ उप-प्रधानमंत्री और कई मंत्रालय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विज्ञान और पुस्तकालय, जल और कृषि, संस्कृति एवं खेल-कूद मंत्रालय आदि होते हैं जिनके प्रमुख, मंत्री और उप-मंत्री होते हैं। इसके अलावा आपदा नियंत्रण के लिए भी मंत्री का प्रावधान होता है। उप-शिक्षा मंत्री के रूप में एक छात्रा को ही नियुक्त किया जाता है जो मीना मंच की पदेन

मुखिया होती है और उसे मीना मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। हर मंत्रालय की एक पन्द्रह सदस्यीय कार्यकारी समिति होती है जो उसके काम-काज को सुचारू ढंग से चलाने में मदद करती है। सभी मंत्री और कार्यकारी समिति के सारे सदस्य पाँचों 'सदनों' से चुने जाते हैं और प्रत्येक सदन का उचित और आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है।

बाल-संसद की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने और उनमें तालमेल बैठाने के लिए एक शिक्षक-समन्वयक भी रहता है। यह एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ मॉडल साबित हुआ है जहाँ बच्चों को मिल-जुलकर और लोकतांत्रिक तरीक़े

से काम करने के भरपूर मौक़े मिलते हैं। पदाधिकारियों की भूमिका और ज़िम्मेदारी यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से तय है। एजेंडा और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मासिक और पाक्षिक मीटिंग की जाती हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जिनमें मूल्यांकन के साथ-साथ आगे की योजनाएँ भी बनाई जाती हैं, प्राथमिकताएँ तय की जाती हैं और फ़ैसले लिए जाते हैं। मीटिंग में हुई कार्यवाही का ब्यौरा भी रखा जाता है। बाल-संसद सामूहिक रूप से सीखने का ऐसा अवसर बन जाता है जिसमें बच्चे पूरे जोश और लगन के साथ सीखते हैं और सराहना एवं अपनेपन की भावना के साथ ज़िम्मेदारी लेने और निभाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा ही एक और ऊर्जा से भरपूर मंच है मीना मंच, जहाँ लड़कियों को सीखने के भरपूर मौक़े मिलते हैं। छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक की सारी लड़कियाँ उसकी सदस्य होती हैं। जैसे कि पहले बताया गया है बाल-संसद की उप-शिक्षा मंत्री इसकी मुखिया होती है, जिसे मीना मंत्री कहा जाता है। इसकी समन्वयक एक महिला शिक्षक होती हैं जो इसकी गतिविधियों का समन्वयन करती हैं और उन्हें सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं।

मीना मंच की बैठक भी महीने में दो बार होती है जिसमें शैक्षणिक और दूसरे सम्बन्धित मामलों पर चर्चा की जाती है। सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे विद्यालय में लड़कियों के दाख़िले और अलग-अलग गतिविधियों में लड़कियों की उपस्थिति और प्रतिभागिता को बढ़ावा देने के लिए पहल करें।

वे शैक्षणिक मामलों के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य, साफ़-सफ़ाई के मुद्दे, सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल-विवाह, बाल-मज़दूरी, लड़कियों के साथ होने वाले बुरे व्यवहार, उनकी भ्रूण-हत्या, दहेज और बालिकाओं से जुड़े सांस्कृतिक लांछन या कलंक, उन सब पर चर्चा करते हैं, और उन पर काबू पाने और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने हेतु जागरूकता लाने के लिए स्कूल और समुदाय में कई तरह के कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

मीना मंच की सफलता से जुड़ी हुई ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनमें बाल-विवाह को होने से सफलतापूर्वक रोका गया। बहुत सारे स्कूलों में, *मीना मंच* के प्रभाव की वजह से स्कूल में लड़कियों के दाख़िले और उनकी उपस्थिति को ज़बरदस्त बढ़ावा मिला है और यह असल मायनों में लड़कियों का सशक्तिकरण है। लड़कियाँ स्वयं अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अधिकारों और समाज में अपने योगदान तथा विभिन्न जीवन-कौशलों के बारे में सीखती हैं। *बाल-संसद* और मीना मंच का गठन हर अकादमिक सत्र के शुरू में किया जाता है और अब दूसरी जगहों के सरकारी स्कूलों ने भी चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली चुनावी प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दिया है। इसमें बाल-संसद के चुनाव की तारीख़ें तय करना, फिर मतदाता-सूची तैयार करना, नामांकन के काग़ज़ भरना, चुनाव प्रचार, आदर्श आचार संहिता लागू करना, शिकायतों को दूर करना, रिटर्निंग आफ़िसर नियुक्त करना, पोलिंग बूथ

बनाना और पोलिंग पार्टियाँ गठित करना, मतदान की पर्चियाँ तैयार करना, वोटों की गिनती करना और नतीजों का ऐलान वगैरह सब शामिल होता है। इस सारी प्रक्रिया में विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते उसके महत्त्व को नज़दीक से समझने का मौक़ा भी मिलता है। ऐसे मंचों के ज़रिए वे संस्थागत व्यवहार, अनुशासन और तौर-तरीक़े सीखते हैं।

स्कूल आपदा प्रबन्धन कमेटी (एसडीएमसी) एक और ऐसा मंच है जिसमें बच्चे पूरे जोश के साथ हिस्सा लेते हैं और अपने स्कूल में और उन इलाकों में जहाँ से वह आते हैं, ख़तरों की पहचान करना सीखते हैं। वह उन सम्भावित ख़तरों की पहचान करना सीखते हैं जो मनुष्यों के जान-माल के साथ-साथ प्रकृति पर भी अपना असर डाल सकते हैं। वे बचाव कार्यों, प्राथमिक उपचार और पुनर्वास के बारे में सीखते हैं। इसके लिए बच्चों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली बारह से तेरह सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है, जिसमें बाल संसद के सभी मंत्री, मीना मंत्री, एक शिक्षक, वीएसएस के चेयरमैन और तीन बाल-प्रेरक (सिखाने वाले हमउम्र सहयोगी) होते हैं, जो हर शनिवार को विभिन्न आपदाओं की मॉक-ड्रिल के

दौरान दूसरे विद्यार्थियों को बचाव कार्यों के बारे में सिखाते और अभ्यास करवाते है। चूँकि बिहार राज्य बार-बार आने वाली बाढ़, सूखे और दूसरे कुदरती संकटों से प्रभावित रहता है, इसलिए एसडीएमसी की भूमिका न सिर्फ़ बचाव-कार्य और पुनर्वास के लिए बल्कि बच्चों की नियमित शिक्षा को जारी रखने के लिए भी बहुत अहम हो गई है। इस तरह प्राकृतिक आपदाओं, मनुष्यों द्वारा खड़े किए जा रहे संकटों की रोकथाम, नियंत्रण, बचाव और पुनर्वास, इन सबके बारे में सीखना सुनियोजित एवं स्वाभाविक रूप से होता है। इन सारे ड्रिल एवं अभ्यासों को बच्चे काफ़ी पसन्द करते हैं और उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जो भी वे सीखते हैं उसे समुदाय के लोगों के साथ साझा भी करते हैं ताकि हर तरह की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

पोषण वाटिका (दोपहर के भोजन) की अवधारणा भी कक्षा के बाहर बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। बच्चे यहाँ समानता व समता, भोजन के महत्त्व व उसके संरक्षण, सेहत और साफ़-सफ़ाई, निजी और सामूहिक ज़िम्मेदारी और सामुदायिक जीवन के बारे में सीखते हैं। इसके दूसरे फ़ायदे यह भी हैं कि बच्चों में खेती से जुड़े मामलों, मिलने वाले पोषण और हमारे रोज़ाना के

जीवन और स्वास्थ्य को बनाए रखने में पौधों की भूमिका के बारे में संवेदनशीलता बढ़ती है। वे श्रम के महत्त्व को सीखते हैं और अपने जीवन में दूसरों के योगदान का सम्मान करना भी।

बच्चों की वास्तविक शिक्षा कक्षा की चारदीवारी या उससे जुड़ी गतिविधियों तक ही सीमित नहीं हैं। कक्षा से बाहर सीखने का दायरा बहुत फैला हुआ है। दरअसल बच्चे अपने सन्दर्भ से, आस-पास के वातावरण से, संस्थागत ढाँचे से, समुदाय के लोगों से और भी न जाने कितनी ही चीज़ों से सीखते हैं। हमें उन पर कक्षा की चारदीवारी के भीतर सिमटने या किताबी कीड़ा होकर रह जाने का दबाव नहीं डालना चाहिए। बल्कि इस तरह का माहौल बनाना चाहिए जिसमें उन्हें नए-नए अनुभवों का मज़ा लेते हुए सीखने के मौक़े मिलें। सीखने क़ा दायरा बहुत व्यापक है जिसकी सीमाएँ आसमान से भी परे हैं।

मनोज कुमार त्रिपाठी भेलदुमारा, आरा, भोजपुर बिहार में *उत्क्रमित मध्य विद्यालय* के हेडमास्टर हैं। वे डायट पिरौता, भोजपुर और एससीईआरटी के साथ गहन रूप से काम करते हैं वे 'टीचर्स ऑफ़ बिहार : द चेंज मेकर्स' के संस्थापक हैं जो कि एक वेब आधारित शैक्षणिक पोर्टल एवं लर्निंग कम्युनिटी है। उनसे *manojtripathy365@gmail.com* पर सम्पर्क किया जा सकता है।

शिव कुमार कपिलदेव मध्य विद्यालय, मोरियावा, विक्रम, पटना, बिहार के सीआरसीसी हैं और एससीआरटी, बिहार और बिहार ऐजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल पटना के साथ जुड़े हुए हैं। वे विभिन्न विषयों पर इन-सर्विस ट्रेनिंग मोड्यूल, लघु फ़िल्में बनाने और डीएलएड की अध्ययन सामग्री विकसित करने का कार्य करते हैं। वे भी 'टीचर्स ऑफ़ बिहार : द चेंज मेकर्स' के संस्थापक हैं जो कि एक वेब आधारित शैक्षणिक पोर्टल एवं लर्निंग कम्युनिटी है। उनसे *shivkumar800@gmail.com* पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : बलराम बोधि **पुनरीक्षण** तथा **कॉपी एडीटिंग** : स्वाति भदौरिया